

इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड रूरल टेक्नोलाजी, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डी.एम.-के(ए) दिनांक 30 सितम्बर 2020 तथा तत्कम में उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.10.2020 से सम्बन्धित।

“संस्थान में अपने पुत्र/पुत्री को कक्षाओं हेतु भेजे जाने के लिए सहमति पत्र”

- 1 मैं समझता हूँ कि अपने पुत्र/पुत्री को संस्थान में भेजने या न भेजने के लिए स्वतन्त्र हूँ। मेरे पुत्र/पुत्री को इस सहमति पत्र के साथ ही संस्थान में प्रवेश की अनुमति होगी।
- 2 इस सहमति पत्र को जमा करके मैं स्वयं अपने पुत्र/पुत्री को संस्थान में भेजने की इच्छा प्रकट करता हूँ।
- 3 मेरे पुत्र/पुत्री को यदि कोविड-19 के कोई लक्षण आते हैं तो मैं तुरन्त अपने पुत्र/पुत्री को संस्थान से वापस ले जाऊंगा तथा उसे कोविड-19 के लक्षण से पूर्णतः मुक्त होने पर ही संस्थान में भेजूंगा। मैं यह भी समझता हूँ कि ऐसी दशा में मुक्त RTPCR ऋणात्मक का प्रमाण पत्र भी देना होगा।
- 4 मैं सरकार के सभी नियमों और कार्यव्यवस्था को अक्षरशः अनुपालन करूंगा तथा मेरे पुत्री/पुत्र हमेशा मास्क लगाकर (एक अतिरिक्त मास्क रखकर) तथा एक सेनिटाइजर के साथ ही संस्थान में जाएगा।
- 5 मैं समझता हूँ और स्वीकारता हूँ कि कोविड-19 की प्रकृति को देखते हुए यह असम्भव है कि संस्थान में मेरे पुत्र/पुत्री के सम्पर्क में आने वाले के कोविड-19 के लक्षण का परीक्षण कर सकें ऐसी दशा में मेरे पुत्र/पुत्री को कोविड-19 से संक्रमित होने की दशा में किसी भी प्रकार से संस्थान को जिम्मेवार नहीं मानूंगा।

माता/पिता द्वारा घोषणा एवं सहमति (निदेशक, आई0ई0आर0टी0, प्रयागराज के नाम)

मैं पिता/माता श्री/कु0.....ब्रान्च.....

सेमेस्टर.....जो कि आपके संस्थान में अध्ययनरत है जिसका फोलियों न0..... है उपरोक्त दिये बिन्दुओं पर वर्णित व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन करने की सहमति एवं घोषणा करता हूँ संस्थान ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जो उपाय किये हैं उससे पूर्णतयः अवगत एवं सहमत हूँ। मैं स्वीकारता हूँ और घोषित करता हूँ कि संस्थान द्वारा कोविड-19 संक्रमण को रोकने हेतु सभी उपाय किये हैं और ऐसी दशा में यदि मेरे पुत्र/पुत्री को संक्रमित होने की दशा में संस्थान किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

माता/पिता का नाम

माता/पिता के हस्ताक्षर  
दिनांक